



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2009/अग्रहायण 20, 1931

No. 241]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2009/AGRAHAYANA 20, 1931

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2009

दूरसंचार टैरिफ (उनचासवां संशोधन) आदेश, 2009

(2009 का संख्यांक 1)

सं. 301-25/2009-ईआर.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) उप-खण्ड (i) के साथ पठित उक्त धारा के उप-खण्ड (2) के अधीन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (उनचासवां संशोधन) आदेश, 2009 कहा जाएगा।

(2) यह 31 दिसम्बर, 2009 को प्रवृत्त होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में, खण्ड 3 में, "अनुसूची I से XI" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अनुसूची I से XII" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची XI के पश्चात्, निम्न अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची XII

(खण्ड 3 देखें)

दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रभार विनियम, 2009 (2009 का 8) के विनियम, 7 के उप-विनियम 4 में निर्दिष्ट मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के लिए टैरिफ

मद

टैरिफ

मद	टैरिफ
1. सब्सक्राइबर द्वारा प्राप्तकर्ता प्रचालक को संदेय पोर्टिंग प्रभार	मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिफिंग प्रभार विनियम, 2009 (2009 का 9) के विनियम 3 में सीलिंग के रूप में निर्दिष्ट प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार।"

साधना दीक्षित, प्रधान सलाहकार (ईआर)

[विज्ञापन-III/4/असा./142/09]

टिप्पणी 1 :- दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 दिनांक 9 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 99/3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III खण्ड 4 में प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :-

संशोधन अधिसूचना संख्या और तारीख	
संख्या	
1	2
पहला	301-4/99-ट्राई (आर्थिक), दिनांक 30-3-1999
दूसरा	301-4/99-ट्राई (आर्थिक), दिनांक 31-5-1999
तीसरा	301-4/99-ट्राई (आर्थिक), दिनांक 31-5-1999
चौथा	301-4/99-ट्राई (आर्थिक), दिनांक 28-7-1999
5वां	301-4/99-ट्राई (आर्थिक), दिनांक 17-9-1999
6वां	301-4/99-ट्राई (आर्थिक), दिनांक 30-9-1999
7वां	301-8/2000-ट्राई (आर्थिक), दिनांक 30-3-2000
8वां	301-8/2000-ट्राई (आर्थिक), दिनांक 31-7-2000
9वां	301-8/2000-ट्राई (आर्थिक), दिनांक 28-8-2000
10वां	306-1/99-ट्राई (आर्थिक), दिनांक 9-11-2000
11वां	310-1(5)/ट्राई-2000, दिनांक 25-1-2001
12वां	301-9/2000-ट्राई (आर्थिक), दिनांक 25-1-2001
13वां	303-4/99/ट्राई-2001, दिनांक 1-5-2001
14वां	306-2/ट्राई-2001, दिनांक 24-5-2001
15वां	310-1(5)/ट्राई-2000, दिनांक 20-7-2001
16वां	310-5(17)/2001-ट्राई (आर्थिक), दिनांक 14-8-2001
17वां	301/2/2002-ट्राई (आर्थिक), दिनांक 22-1-2002
18वां	303/3/2002-ट्राई (आर्थिक), दिनांक 30-1-2002
19वां	303/3/2002-ट्राई (आर्थिक), दिनांक 28-2-2002
20वां	312-7/2001-ट्राई (आर्थिक), दिनांक 14-3-2002
21वां	301-6/2002-ट्राई (आर्थिक), दिनांक 13-6-2002
22वां	312-5/2002-ट्राई (आर्थिक), दिनांक 4-7-2002
23वां	303/8/2002-ट्राई (आर्थिक), दिनांक 6-9-2002
24वां	306-2/2003 आर्थिक, दिनांक 24-1-2003
25वां	306-2/2003 आर्थिक, दिनांक 12-3-2003
26वां	301-2/2003 आर्थिक, दिनांक 27-3-2002
27वां	303/6/2003-ट्राई आर्थिक, दिनांक 25-4-2003
28वां	301-51/2003-आर्थिक, दिनांक 5-11-2003
29वां	301-56/2003-आर्थिक, दिनांक 3-12-2003
30वां	301-4/2004 (आर्थिक), दिनांक 16-1-2004
31वां	301-2/2004-आर्थिक, दिनांक 7-7-2004
32वां	301-37/2004-आर्थिक, दिनांक 7-10-2004
33वां	301-31/2004-आर्थिक, दिनांक 8-12-2004
34वां	310-3(1)/2003-आर्थिक, दिनांक 11-3-2005
35वां	310-3(1)/2003-आर्थिक, दिनांक 31-3-2005
36वां	312-7/2003-आर्थिक, दिनांक 21-4-2005

1	2
37वां	312-7/2003-आर्थिक, दिनांक 2-5-2005
38वां	312-7/2003-आर्थिक, दिनांक 2-6-2005
39वां	310-3(1)/2003-आर्थिक, दिनांक 8-9-2005
40वां	310-3(1)/2003-आर्थिक, दिनांक 16-9-2005
41वां	310-3(1)/2003-आर्थिक, दिनांक 29-11-2005
42वां	301-34/2005-आर्थिक, दिनांक 7-3-2006
43वां	301-2/2006-आर्थिक, दिनांक 21-3-2006
44वां	301-34/2006-आर्थिक, दिनांक 24-1-2007
45वां	301-18/2007-आर्थिक, दिनांक 5-6-2007
46वां	301-36/2007-आर्थिक, दिनांक 24-1-2008
47वां	301-14/2008-आर्थिक, दिनांक 17-3-2008
48वां	301-31/2007-आर्थिक, दिनांक 1-9-2008

टिप्पणी 2— व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ (उनचासवां संशोधन) आदेश, 2009 के लिए उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सब्सक्राइबर्स को उस समय अपना विद्यमान मोबाइल टेलीफोन नम्बर बनाए रखने में समर्थ बनाती है, जब वे मोबाइल प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिए बगैर एक एक्सेस प्रदाता से दूसरे में अथवा किसी लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र में किसी एक मोबाइल सेल्युलर प्रौद्योगिकी से उसी एक्सेस सेवा प्रदाता की किसी अन्य प्रौद्योगिकी में अंतरित होते हैं।

2. दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) दिनांक 23 सितम्बर, 2009 में यह निर्दिष्ट किया गया था कि मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सुविधा प्राप्त करने वाले सब्सक्राइबर को पोर्टिंग प्रभार, यदि कोई है, का भुगतान करना होगा। पोर्टिंग प्रभार से अभिप्रेत है ऐसा प्रभार जो किसी प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा किसी सब्सक्राइबर से उसके मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के लिए उद्ग्रहित किया जाए।

3. इस संबंध में, प्राधिकरण ने दूरसंचार प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार और डिपिंग प्रभार विनियम, 2009 (2009 का 9) के माध्यम से प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार का निर्धारण करते समय यह निर्णय लिया है कि सेवा प्रदाताओं को उनके नेटवर्कों को एमएनपी के अनुकूल बनाने हेतु उनका उन्नयन करने के लिए तथा साथ ही दाता प्रचालक को पोर्टिंग अनुरोध के प्रक्रमण में उपगत प्रशासनिक लागत के लिए भी कोई प्रतिपूर्ति संदेय नहीं होगी क्योंकि एमएनपी में दाता प्रचालक के लिए किसी उल्लेखनीय कार्य का क्रियान्वयन करना अपेक्षित नहीं है।

4. इसी प्रकार, जब कोई सब्सक्राइबर अपना मोबाइल नम्बर पोर्ट करने का अनुरोध करता है, तो जहां प्राप्तकर्ता प्रचालक का संबंध है, यह एक नए सब्सक्राइबर को अर्जित करने का समान है और इस प्रकार प्राप्तकर्ता प्रचालक एमएनपी प्रक्रिया में कोई अतिरिक्त व्यय उपगत नहीं करता है सिवाए प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार के, जोकि पोर्टिंग अनुरोध के प्रक्रमण के लिए एमएनपीएसपी को संदेय है। इसके अतिरिक्त, एमएनपी प्राप्तकर्ता प्रचालक को अधिक सब्सक्राइबर अर्जित करने का अवसर प्रदान करती है। अतः प्राधिकरण ने

प्राप्तकर्ता प्रचालक को उस राशि की एवज में, जो इसे प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार के रूप में एमएनपीएसपी को अदा करनी पड़ती है, सब्सक्राइबर से कोई अतिरिक्त राशि प्रभारित करने का कोई औचित्य नहीं पाया है। तदनुसार, प्रति पोर्ट ट्रांजेक्शन प्रभार पोर्टिंग प्रभार की सीलिंग होगा। तथापि, यह विकल्प प्राप्तकर्ता प्रचालक के लिए खुला रहेगा कि वह पोर्टिंग अनुरोध करने वाले सब्सक्राइबर से, अपने विवेक के अनुसार, कम राशि संग्रहित कर सकता है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2009

The Telecommunication Tariff (Forty Ninth Amendment) Order, 2009

(No. 1 of 2009)

No. 301-25/2009-ER.— In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of Section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely:—

1. (1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Forty Ninth Amendment) Order, 2009.

(2) It shall come into force on the 31st day of December, 2009.

2. In the Telecommunication Tariff Order, 1999, in clause 3, for the word and figures "Schedules I to XI", the word and figures "Schedules I to XII" shall be substituted.

3. After Schedule XI to the Telecommunication Tariff Order, 1999, the following Schedule shall be inserted, namely:—

"SCHEDULE XII

(See Clause 3)

Tariff for porting of a mobile number referred to in sub-regulation (4) of the regulation 7 of the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009)

ITEM	TARIFF
1. Porting charge payable by the subscriber to Recipient Operator.	The Per Port Transaction charge specified in regulation 3 of the Telecommunication Mobile Number Portability Per Port Transaction Charge and Dipping charge Regulations, 2009 (9 of 2009), as ceiling.

SADHANA DIKSHIT, Principal Advisor (ER)
[ADVT III/4/Exty./142/09]

Note 1:— The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No. 99/3, dated 9th March, 1999, and subsequently amended as given below:—

Amendment No.	Notification No. and Date
1	2
1st	301-4/99-TRAI (Econ), dated 30-3-1999
2nd	301-4/99-TRAI (Econ), dated 31-5-1999
3rd	301-4/99-TRAI (Econ), dated 31-5-1999
4th	301-4/99-TRAI (Econ), dated 28-7-1999
5th	301-4/99-TRAI (Econ), dated 17-9-1999
6th	301-4/99-TRAI (Econ), dated 30-9-1999
7th	301-8/2000-TRAI (Econ), dated 30-3-2000
8th	301-8/2000-TRAI (Econ), dated 31-7-2000
9th	301-8/2000-TRAI (Econ), dated 28-8-2000
10th	306-1/99-TRAI (Econ), dated 9-11-2000
11th	310-1(5)/TRAI-2000, dated 25-1-2000
12th	301-9/2000-TRAI (Econ), dated 25-1-2001
13th	303-4/TRAI-2001, dated 1-5-2001
14th	306-2/TRAI-2001, dated 24-5-2001
15th	310-1(5)/TRAI-2000, dated 20-7-2001
16th	310-5(17)/200-TRAI (Econ), dated 14-8-2001
17th	301/2/2002-TRAI (Econ), dated 22-1-2002
18th	303/3/2002-TRAI (Econ), dated 30-1-2002
19th	303/3/2002-TRAI (Econ), dated 28-2-2002
20th	312-7/2001-TRAI (Econ), dated 14-3-2002
21st	301-6/2002-TRAI (Econ), dated 13-6-2002
22nd	312-5/2002-TRAI (Econ), dated 4-7-2002
23rd	303/8/2002-TRAI (Econ), dated 6-9-2002
24th	306-2/2003- Econ, dated 24-1-2003
25th	306-2/2003- Econ, dated 12-3-2003
26th	306-2/2003- Econ, dated 27-3-2003
27th	303/6/2003-TRAI (Econ), dated 25-4-2003
28th	301-51/2003- Econ, dated 5-11-2003
29th	301-56/2003 Econ, dated 3-12-2003
30th	301-4/2004 (Econ), dated 16-1-2004
31st	301-2/2004- Econ, dated 7-7-2004
32nd	301-37/2004- Econ, dated 7-10-2004
33rd	301-31/2004- Econ, dated 3-12-2004
34th	310-3(1)/2003- Econ, dated 11-3-2005
35th	310-3(1)/2003- Econ, dated 31-3-2005
36th	312-7/2003- Econ, dated 21-8-2005
37th	312-7/2003- Econ, dated 2-5-2005
38th	312-7/2003- Econ, dated 2-6-2005
39th	310-3(1)/2003- Econ, dated 8-9-2005
40th	310-3(1)/2003-Econ, dated 16-9-2005
41st	310-3(1)/2003- Econ, dated 29-11-2005

1	2
42nd	301-34/2005- Econ, dated 7-3-2006
43rd	301-2/2006- Econ, dated 21-3-2006
44th	301-34/2006- Econ, dated 24-1-2007
45th	301-18/2007- Econ, dated 5-6-2007
46th	301-36/2007- Econ, dated 24-1-2008
47th	301-14/2008- Econ, dated 17-3-2008
48th	301-31/2007- Econ, dated 1-9-2008

Note 2.— The explanatory Memorandum explains the objects and reasons for the Telecommunication Tariff (Forty Ninth Amendment) Order, 2009.

Explanatory Memorandum

1. Mobile Number Portability (MNP) allows the subscribers to retain their existing mobile telephone number when they move from one Access Provider to another irrespective of the mobile technology or from one cellular mobile technology to another of the same Access Provider in a licensed service area.

2. In the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009) dated 23rd September 2009, it was specified that the subscriber availing Mobile Number Portability facility shall have to pay the porting charge, if any. The Porting charge means such charge as may be levied by a Recipient Operator from a subscriber for porting his mobile number.

3. In this regard, the Authority while determining the Per Port Transaction charge through the Telecommunications Per Port Transaction Charge and Dipping Charge Regulations, 2009 (9 of 2009), has decided that no compensation shall be payable to the service providers for upgradation of their networks to make it MNP compliant and also to the Donor Operator for administrative costs incurred in processing the porting request as MNP do not require the Donor Operator to carryout any significant work.

4. Similarly, when a subscriber makes a request to port his mobile number, in so far as Recipient Operator is concerned, it is similar to acquiring a new subscriber and as such the Recipient Operator does not incur any additional cost in the MNP process except for the Per Port Transaction charge which is payable to the MNPS for processing the porting request. Moreover, MNP gives the Recipient Operator an opportunity to acquire more subscribers. Therefore, the Authority does not find any justification for the Recipient Operator to charge any additional amount from the subscriber over and above what it has to pay to the MNPS in the form of Per Port Transaction charge. Accordingly, the Per Port Transaction charge shall be the ceiling for the Porting Charge. It is however open to the Recipient Operator to collect, at his discretion, a lesser amount from the subscriber making a porting request.